पत्रांक–26 / अ0मु0स0को0

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
सभी अपर मुख्य सचिव
सभी प्रधान सचिव
सभी सचिव

पटना, दिनांक–21.3.2020

विषय– **कोरोना वायरस से बचने के लिए सचिवालय कर्मियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में निदेश।**

महाशय,

पूर्व में इस आशय का निदेश निर्गत किया गया था कि प्रत्येक विभाग में प्रतिदिन आधे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और शेष आधे कर्मचारियों को अनुपस्थित रहने की छूट होगी। इसी क्रम में यह निदेश भी दिया जाता है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के जो कर्मी पटना से बाहर के स्थानों से प्रतिदिन रेल के द्वारा पटना आकर कार्यालय कार्य करते हैं और लौट जाते हैं, उन्हें कार्यालय नहीं आने का निदेश दिया जाएगा। उनके अवकाश लेखा से भी किसी प्रकार के अवकाश की कटौती नहीं की जाएगी। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव अपने–अपने विभागों में समीक्षा कर इस व्यवस्था को लागू करेंगे। पटना शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व से निर्धारित (एक दिन छोड़कर कार्यालय आने की) व्यवस्था पूर्ववत चालू रहेगी।

उपरोक्त सभी निदेश तत्काल 31.3.2020 तक प्रभावित रहेंगे।

विश्वासभाजन

21.3.20
(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–26 / अ0मु0स0को0 **पटना, दिनांक–21.3.2020**

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.2020
(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव